

विविध बैंक प्रकरण संख्या 96/2022(GCMS : 2022/142) पंजाब नेशनल बैंक  
जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA  
केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) बत्ताम  
मैसर्स अम्बिका ट्रेडिंग कंपनी जरिये प्रोपराईटर श्री विरेन्द्र कुमार श्री हंसराज  
C/o दुकान नं. 43, नई धान मंडी, सादुलशहर, श्रीगंगानगर (राज.)



02.01.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा  
उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने कथन किया कि पंजाब नेशनल बैंक ने  
अप्रार्थी मैसर्स अम्बिका ट्रेडिंग कम्पनी - प्रो. विरेन्द्र कुमार द्वारा बैंक के ऋण का  
भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में  
अप्रार्थी विरेन्द्र कुमार की सम्पत्ति प्लॉट नं. 292 का भाग सैक्टर नं. 1, नई आबादी  
(क्षेत्रफल 40' गुणा 120' वर्गफुट) वार्ड नं. 13, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)  
का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना  
पत्र दिनांक 07.06.2022 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी द्वारा  
प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणी के  
विरुद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है अर्थात  
नॉट प्रैस करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर  
दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।


मैंने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो  
पाया कि दिनांक 07.06.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा  
धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन  
अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी मैसर्स अम्बिका ट्रेडिंग कम्पनी - प्रो. विरेन्द्र  
कुमार के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में विरेन्द्र कुमार की सम्पत्ति  
प्लॉट नं. 292 का भाग सैक्टर नं. 1, नई आबादी (क्षेत्रफल 40' गुणा 120' वर्गफुट)  
वार्ड नं. 13, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.) का भौतिक कब्जा दिलवाने के

662  
जिला मजिस्ट्रेट

लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं अर्थात् नॉट प्रैस करते हैं। इस आशय का कथन प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम के हाशिये पर भी अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सौरभ स्वामी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर